न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 209 सन 2018
अनवान :–

1. कंवरपाल 2. विनोद पुत्रगण बिरजाराम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. किस्तुरी पत्नी बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कमला 3 विमला 4 विध्या पुत्रिया बिणजारा उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. शकुन्तला पुत्री इन्द्रा पुत्री बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. चरणसिंह पुत्र इन्द्रा पुत्री बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

8. ओकार 9 महावीर पुत्रगण बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 19/07/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी पुश्तैनी भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 132/121 के कुल 7 किता की कुल 1.7700हैक भूमि वादी के पिता बिनजारा वल्द माना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात का हक हिस्सा है जो कर्ता खानदान होने के कारण वादी के पिता बिनजारा वल्द माना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी।

बिणजारा राम उर्फ बिनजारा का देहान्त हो गया है बिनजाराराम के जायज वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 वादीगण की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण की बहन ईन्द्रा के पुत्र पुत्रीया है अर्थात वादीगण के भानजे है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 वादीगण के भाई है। वादीगण की बहने प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण एवं प्रतिवादी की जाति राजस्व रिकार्ड में कुम्हार दर्ज है जबकि वादीगण एव प्रतिवादीगण की जाति लुहार है अन्य सभी दस्तावेजात में भी जाति लुहार ही दर्ज है कवल लिपिकिय त्रुटी से लुहार के स्थान पर कुम्हार दर्ज हो गया जो संशोधन योग्य है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवान हेतु निवेदन किया तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 132 / 121 के कुल 7 किता की कुल 1.7700हैक्ट भूमि जो मृतक बिणजारा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार है कि घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आये एव वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 ,9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,5 ,6 ने भी ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उनका जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है उनका वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 ने अपने कथनों की ताईद में ईकबाल दावा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है

पेरोकार राज ने जबाब पेश कर निवेदन किया की वादी अपने वाद साक्ष्यो के आधार पर साबित करे एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं वादी की जाति कुम्हार के स्थान पर लुहार दर्ज की जाने की अभिशषा भी की गई है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 132 / 121 के कुल 7 किता की कुल 1.7700हैक्ट भूमि वादी के पिता बिनजारा वल्द माना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात का हक हिस्सा है जो कर्ता खानदान होने के कारण वादी के पिता बिनजारा वल्द माना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी।

वादीगण एवं प्रतिवादी की जाति राजस्व रिकार्ड में कुम्हार दर्ज है जबकि वादीगण एव प्रतिवादीगण की जाति लुहार है अन्य सभी दस्तावेजात में भी जाति लुहार ही दर्ज है केवल लिपिकिय त्रुटी से लुहार के स्थान पर कुम्हार दर्ज हो गया जो संशोधन योग्य है।

बिणजारा राम उर्फ बिनजारा का देहान्त हो गया है बिनजाराराम के जायज वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 वादीगण की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण की बहन ईन्द्रा के पुत्र पुत्रीया है अर्थात वादीगण के भानजे है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 वादीगण के भाई है। वादीगण की बहने प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एव प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 132 / 121 के कुल 7 किता की कुल 1.7700हैक्ट भूमि जो मृतक बिणजारा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार है कि घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 132 / 121 के कुल 7 किता की कुल 1.7700हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीगण के पूर्वज बिनजारा वल्द माना के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार बिनजारा वल्द माना का देहान्त हो चुका है एव प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार बिनजारा के जायय वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 बिनजारा के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 बिनजारा की पत्नि है एव प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 2 ता 4 बिनजारा की पुत्रिया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बिनजारा की पुत्री इन्द्रा के वारिस है अर्थात बिनजारा के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 है जो मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है वाद भूमि में उन्होने अपने हकों को तर्क /त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसी प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ने भी वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया तथा अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया गया है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

इसप्रकार वाद भूमि जो वादीगण के पूर्वज बिनजारा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज के देहान्त होने एवं उसके जायज वारिसान में से बिनजारा की पुत्रियों /वारिसान के द्वारा हक त्याग करने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,9 वाद भूमि के हकदार है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण का कथन है उसकी जाति लुहार है सहवन से राजस्व रिकार्ड में कुम्हार दर्ज हुई है संशोधन की जावें वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरंपच ग्राम पंचायत फेफाना के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादीगण की जाति लुहार अंकित है तथा पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2058 रोही मौजा चक 5 ए बारानी में भी जाति लुहार दर्ज है एवं नामान्तकरण संख्या 478 में भी जाति लुहार दर्ज है इस नामान्तकरण के बाद जाति कुम्हार दर्ज हुई है जो अक्षर पढने में गलती के कारण लुहार से कुम्हार दर्ज हुई है जिसे पेरोकार राज ने भी स्वीकार कर जाति संशोधन की अभिशंषा की गई है इसप्रकार पेराकार राज एवं साक्ष्यों के आधार पर वादीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर लुहार संशोधन योग्य है।

अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करने के कारण वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 132/121 के कुल 7 किता की कुल 1.7700हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक बिनजारा पुत्र माना के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/7/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

GL

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कंवरपाल 2. विनोद पुत्रगण बिरजाराम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 किस्तुरी पत्नी बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कमला 3 विमला 4 विध्या पुत्रिया बिणजारा उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. शकुन्तला पुत्री इन्द्रा पुत्री बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. चरणसिह पुत्र इन्द्रा पुत्री बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

8. ओकार 9 महावीर पुत्रगण बिणजारा राम उर्फ बिनजारा जाति लुहार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 209 सन 2019 निर्णय दिनांक– 19/07/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 132/121 के कुल 7 किता की कुल 1.7700हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक बिनजारा पुत्र माना के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर लुहार संशोधन की जाती है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/7/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner